

तालिका 4.1 हितधारकों की विभिन्न वर्गों से परामर्श/प्रतिक्रियाएं

क्र.सं.	हितधारक वर्ग	संख्या
1.	नागरिक (वेबसाइट/ई-मेल/पोस्ट)	21,558
2.	भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश	4
3.	सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश	1
4.	उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश	12
5.	पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त	4
6.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	8
7.	बार काउंसिल ऑफ इंडिया	1
8.	व्यावसायिक संगठन	3
9.	राजनीतिक दल	47
10.	अर्थशास्त्री	14
11.	भारत का विधि आयोग	2

VI. अनुसंधान और विश्लेषण

समिति ने समकालिक चुनाव से जुड़े विषयों में गहनता के साथ अनुसंधान किया और सभी वैधानिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण किया। इसने, अपनाए जाने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम प्रणालियों का अध्ययन किया। साथ ही समिति द्वारा दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया और फिलिपींस जैसे देशों में समकालिक चुनाव प्रणाली का भी गहन अध्ययन किया गया। समिति का मानना था कि भारत की राजनीतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए देश के लिए एक समुचित समकालिक चुनाव मॉडल विकसित करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा।

VII. उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

- समिति ने समकालिक चुनाव की अवधारणा दो चरण में संभव बनाने के लिए संविधान में कुछ संशोधनों की सिफारिश की:
 - पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए समकालिक चुनाव कराए जाएंगे। इस उद्देश्य से संविधान संशोधन के लिए राज्यों द्वारा किसी अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।
 - दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ कराए जाएंगे, इस प्रकार, कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनाव कराने के सौ दिन के अंदर हों। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा।

- शासन के सभी तीन स्तरों के चुनाव में उपयोग के उद्देश्य से एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के लिए संविधान में संशोधनों की सिफारिश की जाती है, जिससे निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ परामर्श कर एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर सकें। इन संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- त्रिंशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी अन्य घटना की स्थिति में "शेष कार्यकाल" के लिए लोकसभा या राज्य विधान सभा के नए सदन के गठन के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए।
- समिति सिफारिश करती है कि चुनाव संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोगों से परामर्श कर योजना और अग्रिम अनुमान तैयार करेगा तथा मतदान कर्मियों, सुरक्षाबलों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों/वीवीपीएटी मशीन इत्यादि की तैनाती के लिए जरूरी कदम उठाएगा ताकि शासन के सभी तीन स्तरों के लिए समकालिक चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जा सकें।


स्वामी विवेकानंद का निम्नलिखित वक्तव्य इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है।

“समाज एक ऐसा जीव है जो प्रगति के अपरिवर्तनीय नियम का पालन करता है; और परिवर्तन, विवेकपूर्ण और सतर्क परिवर्तन, लोक कल्याण के लिए और वास्तव में सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए आवश्यक है।”

—स्वामी विवेकानंद
समुद्र-यात्रा आंदोलन पर,
बंगाली, 18 मई, 1895



उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी)



समकालिक चुनाव

रिपोर्ट एक नजर में

2024



कृपया अधिक जानकारी के लिए देखें

www.onoe.gov.in



I. समकालिक चुनाव-पृष्ठभूमि

समकालिक चुनाव (एक देश, एक चुनाव नाम से प्रचलित) का अर्थ है लोकसभा, सभी राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना। वर्ष 1957 में बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को प्रेरित किया गया, जिसके फलस्वरूप इन सभी राज्यों में विधानसभाएं अपनी अवधि के पूर्व भंग की गईं और एक साथ चुनाव संपन्न हुआ। (तालिका 1.1 देखें)। *तालिका 1.1 1957 में राज्य विधानसभाओं का विघटन*

विधान सभा का नाम	अवधि समाप्ति की सामान्य तिथि	भंग करने की तिथि
बिहार	12-05-1957	02-04-1957
बॉम्बे	03-05-1957	04-04-1957
मद्रास	03-05-1957	31-03-1957
मैसूर	18-06-1957	01-04-1957
पंजाब	03-05-1957	31-03-1957
उत्तर प्रदेश	19-05-1957	13-03-1957
पश्चिम बंगाल	18-06-1957	05-04-1957

स्रोत: भारत में आम चुनाव पर रिपोर्ट, 1957 (भारत निर्वाचन आयोग)

समकालिक चुनाव की व्यवस्था कुछ हद तक 1967 के चौथे आम चुनाव तक लागू रही, लेकिन फिर समकालिक चुनावों का चक्र बाधित होने के बाद से देश में एक वर्ष में पांच से छः चुनाव कराने पड़ रहे हैं। यदि इसमें नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी।

II. समकालिक चुनाव की आवश्यकता

वर्षों से समकालिक चुनाव की व्यवस्था बहाल करने का मुद्दा राजनीतिक दलों और उनके नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रमुखों, व्यवसायियों, नागरिकों और अन्य का ध्यान खींचता रहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

- i. बार-बार चुनावों से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त व्यय का बोझ पड़ता है। यदि इसमें राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा।
- ii. बार-बार चुनाव से अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ती है, आपूर्ति शृंखला, व्यवसायिक निवेश, आर्थिक विकास, सार्वजनिक व्यय

- की गुणवत्ता, शैक्षिक और अन्य परिणामों को विफल करने के अतिरिक्त सामाजिक सद्भाव को परेशान करते हैं।
- iii. बार-बार चुनाव होने से सरकारी तंत्र में आने वाला व्यवधान नागरिकों के लिए कठिनाई पैदा करता है।
- iv. चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षाबलों की बार-बार तैनाती से उनके मूल कर्तव्य निर्वहन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
- v. बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतिगत फैसलों में व्यवधान आता है और विकास कार्यक्रमों की गति धीमी पड़ जाती है।
- vi. बार-बार चुनाव मतदाताओं में भी मतदान के प्रति उदासीनता पैदा करता है और उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौती आती है।

III. समकालिक चुनाव के लाभ

- i. समकालिक चुनाव से मतदाताओं के लिए सुगमता और सुविधा होती है और यह मतदान के प्रति उनकी उदासीनता दूर कर अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करता है।
- ii. साथ-साथ चुनाव कराने से ऊंची आर्थिक वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित होगी क्योंकि इससे व्यवसायी किसी प्रतिकूल नीतिगत बदलाव की आशंका के बिना अपने व्यवसाय से संबंधित फैसले ले सकेंगे।
- iii. सरकार के सभी तीन स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराने से प्रवासी श्रमिकों के वोट डालने के लिए काम छोड़कर जाने के कारण आपूर्ति शृंखला और उत्पादन चक्र में आने वाली बाधा दूर होगी।
- iv. समकालिक चुनाव से शासन पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा और नीतिगत फैसलों में आने वाला व्यवधान दूर होगा।
- v. बार-बार चुनाव होने से अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है और नीतिगत फैसलों पर असर पड़ता है। साथ-साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी।
- vi. समकालिक चुनाव सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करेगा क्योंकि इससे बार-बार चुनाव पर होने वाले खर्च से बचा जा सकेगा।
- vii. समकालिक चुनाव व्यवस्था अपनाए जाने से दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे पूंजी निवेश बढ़ेगा और परिसम्पत्तियों का सृजन संभव होगा।
- viii. चुनावी कैलेंडर में तालमेल का अर्थ होगा सुशासन के लिए अधिक समय उपलब्ध होना और नागरिकों के लिए निर्बाध सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करना।

- ix. समकालिक चुनावों से चुनाव संबंधी अपराधों और विवादों की संख्या में कमी आएगी और न्यायलयों पर बोझ कम होगा।
- x. समकालिक चुनाव से बार-बार के व्यवस्थागत प्रयासों में कमी आएगी तथा सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों का समय और ऊर्जा बचेगी।
- xi. प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार चुनाव होने से सामाजिक तालमेल बढ़ेगा और चुनाव के दौरान अक्सर होने वाले अनावश्यक संघर्षों में कमी आएगी।

IV. उच्च स्तरीय समिति का गठन

लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों में एक साथ चुनावों के तौर-तरीकों की जांच और सिफारिश करने के लिए, भारत सरकार ने 2 सितम्बर 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं-

- (क) भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करना और सिफारिश करना तथा उस प्रयोजन के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्विन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य विधि या नियमों, जिनमें साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रयोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उसकी जांच करना और विशिष्ट संशोधन करने के लिए सिफारिश करना;
- (ख) यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हों तो उसकी जांच और सिफारिश करना;
- (ग) त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल-बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ-साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश करना;
- (घ) निर्वाचनों को साथ-साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और विशिष्टता, यदि उन्हें साथ-साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो चरणों और समय-सीमा, जिसमें निर्वाचनों को साथ-साथ आयोजित किया जा सकता है, का सुझाव देना और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना, जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हों;

- (ङ) साथ-साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, जिससे साथ-साथ निर्वाचनों का चक्र बाधित न हो;
- (च) इस प्रकार, साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए, अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना, जिसके अंतर्गत ईवीएम, वीवीपीएटी आदि सम्मिलित हैं;
- (छ) लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचक नामावली और निर्वाचक पहचान-पत्रों के उपयोग की जांच करना और उसके तरीकों की सिफारिश करना।

V. परामर्श प्रक्रिया

उच्च स्तरीय समिति ने 191 दिनों तक काम किया। इस दौरान 65 बैठकें हुईं और निम्नलिखित हितधारकों से परामर्श किया गया:

- i. नागरिक,
- ii. राजनीतिक दल,
- iii. विशेषज्ञ - जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त,
- iv. बार काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत का विधि आयोग,
- v. सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे शीर्ष व्यपार संगठन। 05.01.2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 भाषाओं के 105 समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया गया। इस पर पूरे देश से 21,558 प्रतिक्रियाएं मिलीं। 80 प्रतिशत लोगों ने समकालिक चुनावों का समर्थन किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव सौंपे जिनमें 32 समकालिक चुनाव के पक्ष में थे और 15 ने इसका विरोध किया था।